संख्या-319/2015/4218/नौ-5-15-44बजट/15

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ/माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों हेतु संगम तट पर सुरक्षित एवं सुगम चार लेन के एलीवेटेड पहुंच मार्ग तथा फ्लाई ओवर के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-248/मु0म0प्र0/डेडी0कारी0इला0/15, दिनांक 06 फरवरी, 2015 तथा मुख्य महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-1171/मु0म0प्र0-111/डेडी0कारी0इला0, दिनांक 10.07.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ/माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों हेतु संगम तट पर सुरक्षित एवं सुगम चार लेन के एलीवेटेड पहुंच मार्ग तथा फ्लाई ओवर के निर्माण से संबंधित** प्रायोजना की व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.01.2015 में अनुमोदित लागत रू0 87914.92 लाख (रू0 आठ अरब उन्यासी करोड़ चौदह लाख बयानबे हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-134/2015/2099/नौ-5-15-92बजट/2015 दिनांक 31.03.2015 द्वारा सन्दर्भित कार्य हेतु उ0प्र0 जल निगम के पीएलए में रक्षित रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि-लाख रूपए में)

क्र0	प्रस्तावित कार्य	व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.01.2015 में अनुमोदित लागत	अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ/माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों हेतु संगम तट पर सुरक्षित एवं सुगम चार लेन के एलीवेटेड पहुंच मार्ग तथा फ्लाई ओवर के निर्माण	87914.92	87914.92	2500.00
	योग	87914.92	87914.92	2500.00

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण कन्सलटेन्ट के चयन के उपरान्त उ0प्र0 जल निगम द्वारा शासनादेश संख्या-134/2015/2099/नौ-5-15-92बजट/2015 दिनांक 31.03.2015 द्वारा सन्दर्भित कार्य हेतु उ0प्र0 जल निगम के पीएलए में रक्षित धनराशि से किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं विभिन्न पर्यावरणीय नियमों (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं भारत सरकार की ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के अनुसार पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य के लिए कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित सेतु निर्माण के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कन्सलटेन्ट को चयनित करने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर की जायेगी।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) सेतु निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-2695/दस-15, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-319/2015/4218(1)/नौ-5-15-44बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(एक्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशाल, उ0प्र0, लखनऊ।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
8- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- मुख्य महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
12- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
13- सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
14- क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इलाहाबाद।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
16- नगर विकास अनुभाग-1
17- मेलाधिकारी, इलाहाबाद।
18- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।